रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2005/श्रावण 6, 1927
No. 114] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2005/SRAVANA 6, 1927

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 1-सी.ए.(7)/83/2005.—यह कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में और संशोधन करने हेतु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38वां) की धारा 30 की उप-धारा (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार संशोधनों का प्रारूप दिनांक 27 मई, 2005 को प्रकाशित भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 के पृष्ठ संख्या 1 से 2 पर इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया की अधिसूचना संख्या-1 सी.ए.(7)/83/2005 दिनांक 27 मई, 2005 के तहत प्रकाशित किया गया था।

और यह कि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तिथि से पैंतालिस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले तक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और यह कि उक्त राजपत्र आम जनता को 30 मई, 2005 को उपलब्ध करा दिया गया था।

और यह कि उक्त संशोधनों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया की परिषद् द्वारा विचार किया गया तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतदद्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में :—

(i) विनियम 25ख में, उप-विनियम (2) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि व्यावसायिक शिक्षा (परीक्षा-I) में लगातार पांच प्रयास पूरे कर लेने वाला/वाली अभ्यर्थी 31 दिसम्बर, 2007 को या उसके पूर्व आयोजित परीक्षाओं में उक्त परीक्षा में प्रविष्टि किए जाने के लिए पांच अतिरिक्त प्रयासों के लिए अर्हित होगा/होगी।"

(ii) विनियम 28ख में, उप-विनियम (3) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि व्यावसायिक शिक्षा (परीक्षा-II) में लगातार पांच प्रयास पूरे कर लेने वाला/वाली अभ्यर्थी 31 दिसम्बर, 2007 को या उसके पूर्व आयोजित परीक्षाओं में उक्त परीक्षा में प्रविष्टि किए जाने के लिए पांच अतिरिक्त प्रयासों के लिए अर्हित होगा/होगी।"

टी. कारथीकेयन, निदेशक

टिप्पणी : 1. मूल विनियम, दिनांक 1 जून, 1988 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या 1 सी ए. (7)/134/88 दिनांक 1 जून, 1988 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् समय-समय पर संशोधित किए गए एवं पिछला इस तरह का संशोधन अधिसूचना संख्या 1 सी.ए.(7)/51/2000 दिनांक 17 अगस्त, 2001 जो कि भारत का राजपत्र असाधारण दिनांक 17 अगस्त, 2001 में प्रकाशित किया गया था।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2005

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/83/2005 : Whereas certain draft amendments further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, as required by sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), at pages 1 to 2 of the Gazette of India, Part III Section 4, dated the 27th May, 2005 under the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No. 1-CA (7)/83/2005 dated 27th May, 2005;

And whereas objections and suggestions were invited before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 30th May, 2005;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft amendments have been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India and approved by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby, makes the following amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2005.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988,—

   (i) in regulation 25B, after sub-regulation (2) and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

   "Provided that a candidate, who has exhausted his/her five consecutive attempts in the Professional Education (Examination-I), shall be eligible to be admitted to the said examination for five additional attempts in any of the examinations held on or before the 31st December, 2007."

   (ii) in regulation 28B, after sub-regulation (3) and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

   "Provided that a candidate, who has exhausted his/her five consecutive attempts in the Professional Education (Examination-II), shall be eligible to be admitted to the said examination for five additional attempts in any of the examinations held on or before the 31st December, 2007."

T. KARTHIKEYAN, Director

Note :

1. Principal regulations were published *vide* Notification No. 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988, in Part III Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 1st June, 1988.
2. Subsequently amended from time to time and last such amendment was made *vide* Notification No. 1-CA(7)/51/2000 dated 17th August, 2001, published in Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.